

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

मैनुअल नं.02 / प्रा.पत्र / 2024

30.01.2024

01.08.2024

(GCMS No. 2024 / 42)

ईजी होम फाईनेन्स लिमिटेड,
शाखा कार्यालय बिल्डिंग सं. 223, 3rd फ्लोर, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय
ग्रामीण बैंक के नीचे, मानक भवन के पास, गुमानपुरा, कोटा
जयें प्राधिकृत अधिकारी

—प्रार्थी (प्रतिभूतलेनदार)

बनाम

1. श्री धर्मराज गुर्जर पुत्र महादेव गुर्जर,
पता—गुर्जर मोहल्ला, ग्राम नीम का खेडा, तहसील व जिला बून्दी
2. श्रीमती दिलबर बाई पत्नी धर्मराज गुर्जर,
पता—गुर्जर मोहल्ला, ग्राम नीम का खेडा, तहसील व जिला बून्दी
3. श्री मनराज गुर्जर पुत्र महादेव गुर्जर,
पता—गुर्जर मोहल्ला, ग्राम नीम का खेडा, तहसील व जिला बून्दी
—अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण
और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल एड0
अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ईजी होम फाईनेन्स लिमिटेड, शाखा कार्यालय गुमानपुरा, कोटा, जो कि केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत पंजीकृत हाउसिंग वित्त कंपनी के रूप में वित्तीय संस्था है, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 24.05.2022 को कुल रूपये 10,35,627/- का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में बंधक सम्पत्ति श्री धर्मराज पुत्र महादेव गुर्जर के स्वामित्व की अचल सम्पत्ति मिसल सं. 4897, ख.सं.

जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

1746 / 455, ग्राम नीम का खेड़ा, तहसील बून्दी, जिला बून्दी (राज.) में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 2520 वर्गफीट है एवं श्री मनराज पुत्र महादेव गुर्जर के स्वामित्व की अचल सम्पत्ति मिसल सं. 4898, ख.सं.1746 / 455, ग्राम नीम का खेड़ा, तहसील बून्दी, जिला बून्दी (राज.) में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 2450 वर्गफीट है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रदत्त उक्त ऋण का नियमित रूप से भुगतान नहीं कर सके और ऋण के भुगतान के व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक07.05.2023 को अक्रियान्विति आरित NPA (अन्तर्जक परिसम्पत्ति) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। अप्रार्थीगण के खाते में 10,97,156/- बकाया एकम दिनांक 04.07.2023 तक शेष देय है व इससे आमों की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिये अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को मांग नोटिस दिनांक 04.07.2023 रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करवाये जाने के बावजूद निधारित अवधि के अन्तर्गत ऋणी / बंधककर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में तूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभालाया है। इस कारण प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुनर्भुगतान हेतु उक्त रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था की जरिये पुलिस इमदाद संभालाने के लिये यह प्रार्थनापत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज के नियमानुसार भुगतान नहीं किये जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित किया गया, इसके बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में तूक की है। दिनांक 16.08.16 को उक्त अधिनियम की धारा 12 में किये गये संशोधन के अनुसार यदि धारा 13(2) का नोटिस पूर्व में दिया जा चुका है तो ऋणी को मजिस्ट्रेट कीआरसे धारा-14 के तहत प्रा.पत्र का पृथक से नोटिस जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही अभिभाषक द्वारा अवगत कराया गया कि जिला मजिस्ट्रेट महोदय को केवल दो पहलुओं पर विचार करना होता है कि क्या प्रतिभूत आरित उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर आती है, और क्या धारा 13(2) के अधीन सूचना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में उक्त दोनों बिन्दुओं की पालना हो चुकी है। अतः उपरोक्त बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने अभिभाषक प्रार्थी के कथन पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित अवल सम्पत्ति को बंधक रखकर प्रार्थी वित्तीय संस्था से ऋण लिया जाना, ऋणी के ऋण मय ब्याज नियमानुसार भुगतान करने में असफल रहने से उक्त ऋण खाता NPA किया जाना एवं प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रत्यक्ष रूप से अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित किये जाने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया जाना प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में अंकित किया है। प्रार्थना पत्र के संलग्न सम्पत्ति के स्वामित्व संबंधी दरतावेजों से स्पष्ट है कि प्रतिभूत आरित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर आती है। वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अधीन मांग सूचना पत्र दिनांक 04.07.2023 को प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था ईजी होम फाइनेंस लिमिटेड द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ऋणी की/बंधककर्ता की बंधक आवासीय सम्पत्ति श्री धर्मराज पुत्र महादेव गुर्जर के स्वामित्व की अवल सम्पत्ति मिसल सं. 4897, ग्राम नीम का खेड़ा, तहसील व जिला बून्दी में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 2520 वर्गफीट है (जिसकी चतुर्सीमाएं इस प्रकार हैं, पूर्व में— नन्दकिशोर महाजन का खेत, पश्चिम में—मनराज आ. माधो का मकान व रास्ता, उत्तर में—राजारामगुर्जर का बाड़ा, दक्षिण में—मोती गुर्जर का मकान), एवं श्री मनराज पुत्र महादेव गुर्जर के स्वामित्व की अवल सम्पत्ति मिसल सं. 4898, ग्राम नीम का खेड़ा, तहसील व जिला बून्दी में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 2450 वर्गफीट है, (जिसकी चतुर्सीमाएं इस प्रकार हैं, पूर्व में— धर्मराज आ. माधोलाल का मकान, पश्चिम में— रमेश कोली का मकान व रास्ता, उत्तर में—राजाराम गुर्जर का मकान, दक्षिण में—हरनाथ गुर्जर का मकान), का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक बून्दी को हस्त कायदा जारी हो। उक्त बंधक सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी तरह का विवाद होने या किसी सक्षम न्यायालय का स्थान आदेश प्रभावी होने की स्थिति में यह आदेश कियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे। पत्रावली फैसेले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 01.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट बून्दी